न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–13/2022

राज्य

बनाम्

उदय चरण साव

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 611/अप0शा0 दिनांक 28.03.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–09/2022 दिनांक–12.01.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार ने धारा–379/414/34 भा0द0वि0, धारा–30(ii) Coal Mines Act. धारा–21 MMDR Act. एवं धारा–13 The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH19B-7040 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

विपक्षी वाहन मालिक उदय चरण साव, पे0–स्व0 पाण्डेय साव, ग्राम–नगड़ा, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार को नोटिस तामिला एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल

दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, धर्मेन्द्र कुमार महतो के द्वारा दिनांक 12.01.2022 को रात्री करीब 12:20 बजे गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ थाना क्षेत्र के मुरपा स्थित हरैयाटांड़ चौक में रात्री 01:45 बजे से वाहन चेकिंग करना प्रारम्भ किया गया। कुछ देर बार देखा कि ग्राम केरी (बालूमाथ) की ओर से एक ट्रक तेजी से आ रहा है। ट्रक के सामने आने पर टॉर्च की रोशनी से रोकने का ईशारा किया, लेकिन बिना रूके ट्रक तेजी से मैक्सलुस्कीगंज की ओर भागने लगा तब अपने साथ गये सशस्त्र बल के मदर से उक्त ट्रक को पीछा कर भगिया चौक के पास रोका। उक्त ट्रक में चालक के अलावे उपचालक बैठा था। बारी–बारी से दोनों से पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम दिग्विजय कुमार, पिता– उदय चरण साव, सा0–नगड़ (बालूमाथ) दूसरे ने अपने को ट्रक का उप चालक बताते हुए अपना नाम सोनू कुमार पिता– उमेश प्राद साहू, सा0–बालू, थाना– बालूमाथ, जिला–लातेहार बताया। ट्रक में लोड कोयला संबंधित कागजात का मांग किया तो इनके द्वारा आना कानी किया जाने लगा तत्पश्चात् सख्ती से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उक्त ट्रक में चोरी का अवैध कोयला लदा है। गाड़ी का रजि0 नं0 पुछने पर ट्रक का रजि0 न0–JH19B-7040 तथा मालिक का नाम उदय चरण साव, पिता–स्व0 पाण्डेय सा0, सा0–नगड़ा, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार बताया, जिसके आलोक में वाहन मालिकों के विरूद्ध अवैध कोयला चोरी करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। अनुसंधान, घटनास्थल का निरीक्षण, वादी एवं गवाहों के बयान, जप्ती सूची, पर्यवेक्षण टिप्पणी, प्रतिवेदन–दो के आधार पर काण्ड धारा– 379/414/34 भा0द0वि0, धारा–30(ii) Coal Mines Act. धारा–21 MMDR Act. एवं धारा–13 The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध सत्य पाया गया है, एवं काण्ड में जप्त

वाहन ट्रक रजि0 नं0—JH19B-7040 को बालूमाथ थाना अन्तर्गत मारंगलोईया पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया है, जिसे राजसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) के तहत् काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0—JH19B-7040 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार ट्रक की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात ट्रक के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25/04/23

उपायुक्त,
लातेहार।

25/04/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 13:45:52 +05:30
Location: 10.93.47.5